

## झारखण्ड सरकार

### ग्रामीण विकास विभाग

दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की इकाई JSLPS द्वारा प्रखंड संसाधन व्यक्ति – सामाजिक विकास (BRP-SD) के सुचिबद्धता के सम्बन्ध में जनसाधारण के लिए पुनः विस्तृत लोक सूचना :-

यह सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने प्रखंड संसाधन व्यक्ति – सामाजिक विकास (BRP-SD) को सूचीबद्ध करने हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था जिससे सम्बंधित लोक विज्ञप्ति मई 2018 में विभिन्न समाचार पत्रों, विभागीय व SIDS की वेबसाइट के माध्यम से जारी की गयी थी।

1. उपर्युक्त विज्ञप्ति में यह स्पष्ट था तथा 02 सितम्बर 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम घोषणा के साथ भी यह पुनः सूचित किया गया था कि यह प्रक्रिया BRP-SD के रूप में अभ्यर्थियों को मात्र सूचीबद्ध करने की है एवं इनकी सेवा आवश्यकतानुसार ही झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) द्वारा ली जाएगी। सूचीबद्ध BRP-SD की सेवा लेने अथवा न लेने का पुर्णतः अधिकार JSLPS का होगा। BRP-SD कोई सुचारू पद नहीं है यह सिर्फ अल्पकालिक समय समय पर आवश्यकतानुसार ली जाने वाली संसाधन व्यक्तियों का सूचीकरण है। अतः इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी ध्यान दें कि BRP-SD संविदा आधारित सुचारू पद के समकक्ष नहीं है।
2. BRP-SD को सूचीबद्ध करने हेतु सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी तत्पश्चात लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तेवज सत्यापित करे हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज के जाचोंपरांत BRP-SD के सुचिबद्धता की प्रथम सूची जारी की गयी है। अभी तक प्राप्त शिकायतों एवं पत्रों के मद्देनजर इस सूची में मानवीय त्रुटियों की संभावनाओं पर पुनः विचार किया जा रहा है। जल्द ही इससे सम्बंधित सूचि एवं जानकारी JSLPS के अधिकारिक वेबसाइट [www.jslps.org](http://www.jslps.org) पर जारी की जाएगी।
3. इसी विषय में आने वाले पत्र एवं शिकायतों के मद्देनजर एक बार पुनः JSLPS यह स्पष्ट करना चाहेगा कि सूचीबद्ध करना न्युक्ति करने से भिन्न प्रक्रिया है। सूचीबद्ध करने का अर्थ आवश्यकतानुसार ही सूचीबद्ध संसाधन व्यक्तियों की सेवा दैनिक तय दर पर लेना है। यह नियुक्ति नहीं हैं जहाँ मासिक मानदेय तय होता हो। आवश्यकता पड़ने पर सूचीबद्ध संसाधन व्यक्तियों से संपर्क किया जायेगा तथा सम्बंधित विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक द्वारा दिए गए ग्रेडिंग के अनुसार ही उनकी सेवा आवश्यकता पड़ने पर ली जाएगी। प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाए जाने पर सम्बंधित संसाधन व्यक्ति का नाम सूचि से हटाने का अधिकार भी JSLPS के पास सुरक्षित है।
4. कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाये जाने तक तक संयम रखें व सोशल मिडिया के माध्यम पर इससे सम्बंधित फैलाये जा रहे किसी भी प्रकार की अफवाहों अथवा भ्रमजाल से बचें। इससे सम्बंधित किसी भी प्रकार की अधिकारिक सूचना सिर्फ JSLPS के अधिकारिक वेबसाइट [www.jslps.org](http://www.jslps.org) के ही माध्यम से दी जाएगी।